भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 104

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 नवंबर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया)

सीएसआर नीति

104. श्री सत्यदेव पचौरीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सीएसआर नीति की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन की जांच के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना को और अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए गत 5 वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): इस मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग): सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कंपनियों द्वारा सीएसआर नीतियों के कार्यन्वयन की निगरानी में सुधार करने के लिए उपाय सुझाने हेतु वर्ष 2015 में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी-2015) का गठन किया है। तत्पश्चात् वर्ष 2018 में सीएसआर ढांचे की समीक्षा करने और अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ और संगत सीएसआर नियामक तथा नीति संरचना विकसित करने, और बुनियादी परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु सिफारिश करने के लिए अन्य उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी-2018) का गठन किया गया। एचएलसी-2018 ने दिनांक 07 अगस्त, 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in पर उपलब्ध है।

*****